

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 625 सन 2019

अनवान :-

1. अमरसिंह पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र लालु उर्फ लालुराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामी पत्नि स्व वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. बिमला पुत्री श्रवण कुमार पत्नी बलराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. माया पुत्री श्रवण कुमार पत्नी विजयसिंह जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. समेस्ता पुत्री श्रवण कुमार पत्नि राजाराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. सोनुराम पुत्र स्व वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. संजु कुमारी पत्नी स्व वेदप्रकाश जाति पत्नि सोरभसिंह जाति जाट निवासी पोहडका तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 17/02/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 117/118 की कुल 20.2600 है में से 218-5/6 हिस्सा व रोही मौजा मूकरका के खाता संख्या 652/646 की कुल 4.7420 हैक में से 53-1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लालू वल्द नारायण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लालू वल्द नारायण के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी के भाई वेदप्रकाश का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2, 6, 7 है

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा लालू वल्द नारायण के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 रामी एव मृतक वेदप्रकाश की पुत्र/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3, ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता लालू वल्द नारायण के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7, जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है वेदप्रकाश के पुत्र एवं पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात् उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 117/118 की कुल 20.2600 है में से 218-5/6 हिस्सा व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 652/646 की कुल 4.7420 है व में से 53-1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लालू वल्द नारायण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लालू वल्द नारायण के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी के भाई वेदप्रकाश का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2, 6, 7 है

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा लालू वल्द नारायण के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 रामी एव मृतक वेदप्रकाश की पुत्र/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3, ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया

जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

कोट

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 117/118 की कुल 20.2600 है में से 218-5/6 हिस्सा व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 652/646 की कुल 4.7420 है व में से 53-1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।


जमाबन्दी भू0प्रबन्ध विभाग सम्वत 2029 से 2038 के अनुसार वाद भूमि लालू वल्द नारायण के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा लालू वल्द नारायण के नाम से दर्ज है वादी के दादा लालू वल्द नारायण के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 जो वादी की बहने /मृतक वेदप्रकाश के पुत्र/पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 117/118 की कुल 20.2600 है में से 218-5/6 हिस्सा व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 652/646 की कुल 4.7420 है व में से 53-1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 706/694 की कुल 5.6780 है व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपस्थित अधिकारी (साजसब)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. अमरसिंह पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र लालु उर्फ लालुराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामी पत्नि स्व वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. बिमला पुत्री श्रवण कुमार पत्नी बलराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. माया पुत्री श्रवण कुमार पत्नी विजयसिंह जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. समेस्ता पुत्री श्रवण कुमार पत्नि राजाराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. सोनुराम पुत्र स्व वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. संजु कुमारी पुत्री स्व वेदप्रकाश जाति पत्नि सोरभसिंह जाति जाट निवासी पोहडका तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 625 सन 2019 निर्णय दिनांक-17/02/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 117/118 की कुल 20.2600 है में से 218-5/6 हिस्सा व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 652/646 की कुल 4.7420 है में से 53-1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 706/694 की कुल 5.6780 है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)